# न्यायालय जिला कलेक्टर, कोटा

पीठासीन अधिकारीः– ओम कसेरा , **I.A.S.**

प्रकरण संख्या –25 / 2018 (अपील)

पुष्पा बाई पुत्री स्व. मूल्या उर्फ मूलचन्द पत्नि स्व. श्रवण जाति कीर निवासी रंगपुर हाल निवासी दुर्गा टेन्ट हाउस के पास, जैन मंदिर रोड सकतपुरा कोटा (राज.)

–अपीलाण्ट.

*बनाम*

1. छोटूलाल पुत्र मूल्या उर्फ मूलचन्द जाति कीर
2. लटूर पुत्र मूल्या उर्फ मूलचन्द जाति कीर
3. देवलाल पुत्र मूल्या उर्फ मूलचन्द कीर (मृतक) कायम मुकामान

3/1 बन्टी पुत्र स्व. देवलाल

3/2 भगवती पुत्र स्व. देवलाल

3/3 बिरजू उर्फ बृजमोहन पुत्र स्व. देवलाल

3/4 मूर्ति बाई बेवा देवलाल

4. मुकुट (मृतक) पुत्र मूल्या उर्फ मूलचन्द जाति कीर

4/1 भोले पुत्र स्व. मुकुट जाति कीर

4/2 सत्यनारायण पुत्र स्व. मुकुट जाति कीर

4/3 रघुवीर पुत्र स्व. मुकुट जाति कीर

4/4 पुष्पा बैवा मुकुट जाति कीर

4/5 दयाराम उर्फ श्योल्या पुत्र स्व. मुकुट जाति कीर (मृतक)

4/5/1 दीपक पुत्र दयाराम उर्फ शौल्या

4/5/2 कृष्णा उर्फ विमला पुत्री दयाराम उर्फ शौल्या जाति कीर निवासीगण ग्राम रंगपुर तहसील लाडपुरा जिला कोटा राज0

5. लटूर (मृतक)

5/1 देवेन्द्र आत्मज श्री लटूर

5/2 गोविन्द पुत्र लटूर

5/3 सन्तोष बैवा लटूर

6. बाल्या (मृतक)

6/1 शान्ती लाल पुत्र स्व. बाल्या जाति कीर

6/2 मोहनलाल पुत्र स्व. बाल्या जाति कीर

6/3 घींसी बाई पुत्री स्व. बाल्या, जाति कीर

6/4 शान्ती बाई पुत्री स्व. बाल्या, जाति कीर

7. जगन्नाथ (मृतक)

7/1 रामलाल आत्मज स्व. जगन्नाथ जाति कीर

7/2 श्यामलाल आत्मज स्व. जगन्नाथ जाति कीर

7/3 मुकेश आत्मज स्व. जगन्नाथ जाति कीर

7/4 काली बाई पुत्री जगन्नाथ जाति कीर

7/5 निलेस पुत्री जगन्नाथ जाति कीर

7/6 भूली बाई पुत्री जगन्नाथ जाति कीर

7/7 बिसरी बाई पुत्री जगन्नाथ जाति कीर

7/8 कमला बाई बैवा जगन्नाथ जाति कीर निवासीगण रंगपुर तहसील लाडपुरा जिला कोटा राजस्थान

8. सरकार जरिये तहसीलदार लाडपुरा कोटा

–––रेस्पोडेन्ट.

Scanned by CamScanner

**अपील अन्तर्गत धारा 75 लैण्ड रेवेन्यू एक्ट 1956, विरूद्व आदेश इन्तकाल नं. 75 दिनांक 02.6.1989**

उपस्थिति

1. श्री चन्द्रमोहन शर्मा, अभिभाषक अपीलान्ट

*निर्णय*

दिनांक– 17.03.2020

1. अपील के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार, लाडपुरा द्वारा ग्राम रंगपुर के नामा0 सं0 75 दिनांक 02.06.1989 में पारित आदेश कि " मुताबिक सजरा खातेदार नेवाराम फौत, रिपोर्ट पटवारी, जांच आई. एल. आर. के कॉलम नं. 9 के इन्द्राज की स्वीकृति है । बाबत आदेश पारित किया

2. उक्त आदेश की अप्रसन्नता में यह अपील इस न्यायालय में दिनांक 23.03.2018 को पेश कर कथन किया है कि उक्त आदेश से अप्रसन्न होकर यह अपील अपीलांट के पिता मूल्या उर्फ मूलचन्द पुत्र देवराम जाति कीर निवासी रंगपुर तहसील लाडपुरा जिला कोटा के कब्जे काश्त एवं खातेदारी की भूमि वाके ग्राम रंगपुर तहसील लाडपुरा जिला कोटा में कुल किता–3 रकबा 3.37 हे0 भूमि स्थित है । मूल्या के चार पुत्र छोटूलाल, मुकुट (मृतक) लटूर देवलाल व पुत्री पुष्पा बाई अपीलांट है । मूल्या जी का देहान्त हो चुका है, उनकी मृत्यु के बाद इंतकाल नं0 75 खोला गया जिसमें मूल्या पिता के तीन पुत्र मूलचन्द (मृतक) बाल्या, जगन्नाथ पुत्रियां रामनाथी, शंकर, फून्दी (मृतक) थे जिसमें मूलचन्द अपीलांट के पिता थे । इस इन्तकाल में मूलचन्द उर्फ मूल्या के वारिसान में चार पुत्र छोटूलाल, मुकुट (मृतक) लटूर , देवलाल का नाम दर्ज कर दिया किन्तु अपीलांट जो खातेदारी मूल्या उर्फ मूलचन्द की पुत्री थी उसका नाम रेकार्ड में अंकित नहीं किया है । इसलिए इन्तकाल नं0 75 अवैधानिक है क्योंकि अपीलांट खातेदार मूलचन्द उर्फ मूल्या पुत्र की पुत्री है । रेस्पोडेन्ट्स ने रेवेन्यू अधिकारियों से मिली भगत कर अपीलांट का नाम दर्ज न करवाकर स्वयं के नाम रेवेन्यू रिकार्ड में दर्ज करवा लिया । अपीलांट का मूल्या के हिस्से में 1/5 हिस्सा निहित है । इन्तकाल खोलते समय अपीलांटा को सुनवाई का अवसर प्रदान नहीं किया, अपीलांट का ससुराल में होने का फायदा उठाकर रेस्पोडेन्ट ने अपने नाम दर्ज करवा लिये जबकि वादग्रस्त भूमि में मूल्या उर्फ मूलचन्द का 1/5 हिस्सा निहित है । अपीलांट को उक्त ज्ञान रेवेन्यू रिकार्ड का अवलोकन करने पर एवं रेवेन्यू रिकार्ड में अपीलांट का नाम न होने पर उक्त इन्तकाल का ज्ञान दिनांक 14.3.2018 को हुआ जिसकी नकल की दरख्वास्त दिनांक 16.3.2018 को पेश की जिसकी नकल दिनांक 20.3.2018 को प्राप्त होने पर नकल प्राप्ति से उक्त अपील अवधि मध्य प्रस्तुत है । अतः अपील अपीलांट स्वीकार फरमाई जाकर इन्तकाल नं0 75 दिनांक 2.6.89 को निरस्त फरमाया जावें एवं अपीलांट का नाम दर्ज करने हेतु तहसीलदार लाडपुरा कोटा को आदेशित किया जावें ।

3. अपील पेश होने पर दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोडेन्ट को रजिस्टर्ड ए.डी. नोटिस जारी किये गये, किन्तु रेस्पोडेन्ट बावजूद सूचना के अनुपस्थित है । वकील अपीलांट उपस्थित । रेस्पो0 के अनुपस्थित रहने से वकील अपीलांट की एकपक्षीय बहस सुनी गई ।

4. अभिभाषक अपीलांट ने अपनी बहस में अपील में अंकित तथ्यों को ही दौहराया और कथन किया कि अपील अपीलांट के पिता मूल्या उर्फ मूलचन्द पुत्र देवराम

जिला कलेक्टर
कोटा

Scanned by CamScanner

7. परिणामस्वरूप अपील अपीलांट सारहीन होने से अस्वीकार की जाकर खारिज की जाती है । जैर अपील नामा0 सं0 75 ग्राम रंगपुर दिनांक 2.6.89 में हम कोई हस्तक्षेप करना उचित नहीं समझते है ।

8. निर्णय आज दिनांक 17.03.2020 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

( ओम कसेरा )

जिला कलेक्टर, कोटा

Scanned by CamScanner